

आयकर आयुक्त, सेलम

बनाम

के. चिन्नाथम्बन

24 जुलाई, 2007

{ एस.एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे. }

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 69 और 69ए जनता से जमा एकत्र करने के लिए फर्म का गठन-फर्म से जुड़ी मूल्यांकन कार्यवाहियों में, अघोषित आय के रूप में दिखाई गयी राशि जो धारा 69 के अंतर्गत कर के अधीन- न्यायाधिकरण के आदेश कि क्योंकि दावा जनता के सदस्यों द्वारा किया गया, अस्पष्टीकृत निवेशों पर आय का फर्म के हाथों में माना जाना चाहिए- शुद्धता- अभिनिर्धारित- सही नहीं है क्योंकि पंजीकरण दर्ज करने का कोई सबूत नहीं है। फर्म की लेखा पुस्तकों का ठीक से रखाव नहंी किया गया- निर्धारिती द्वारा निवेश के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है- इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जनता के सदस्यों ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से फर्म के साथ अपनी जमा राशि जमा की थी -और साथ ही फर्म की भागीदारों को भी काल्पनिक पाया गया।

फर्म वी.वी. को पुरस्कार टिकटों का व्यवसाय करने और जनता से जमा राशि एकत्र करने के लिए शुरू किया गया था। फर्म का प्रबंधन केपी

के द्वारा किया जाता था। पुलिस अधिकारी ने फर्म के परिसर में तलाशी ली और 1.18 करोड़ रूपए जब्त किए। कंपनी ने अपना रिटर्न दाखिल किया। मूल्यांकन कार्यवाही में, खातों की पुस्तकें अधूरी पाई गयीं और कंपनी रूपए की जमा राशि के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सका। निर्धारण अधिकारी ने राशि को उन व्यक्तियों की अघोषित आय के रूप में माना जिनके नाम पर जमा राशि दिखाई दी थी। प्रत्यर्था-निर्धारिती भी फर्म से जुड़े थे और उनके मूल्यांकन के संबंध में 5 लाख रूपए की राशि को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 के तहत अघोषित आय के रूप में दिखाया गया था। सी.आई.टी. ने मूल्यांकन आदेश को बरकरार रखा। हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि चूंकि दावा जनता के सदस्यों द्वारा किया गया था, इसलिए राशि को विभिन्न करदाताओं की अघोषित स्रोत से आय के रूप में मानना उचित नहीं था और इन सभी राशियों को फर्म की पुस्तकों के साथ जोड़ना आवश्यक था। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपीलें हैं।

अपीलों को अनुमति देते हुए न्यायालय ने माना कि

1.1 जहां एक जमा एक तीसरे व्यक्ति के नाम पर है और अगर उस व्यक्ति का निर्धारिती से संबंध है तो ऐसे मामले में उचित यह होगा कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसकी पुस्तकों में जमा राशि दिखाई देती है

या फिर उस व्यक्ति जिसके नाम पर जमा है को इस प्रकार की जमा राशि की व्याख्या करने के लिए बुलाया जाए।

1.2. तत्काल मामले में, फर्म के पंजीकरण को दर्ज करने का कोई सबूत नहीं था, लेखा पुस्तकों का ठीक से रख-रखाव नहीं किया गया: निवेश के स्रोत के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं था और कंपनी के साक्ष्य ने संकेत दिया कि फर्म के भागीदार भी काल्पनिक थे। ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं थे जो दर्शाते हो कि जनता के सदस्य अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से फर्म में अपनी जमा राशि जमा कर रहे हैं, अतः इन राशियों को फर्म की पुस्तकों के साथ जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। विभाग यह मानने में सही था कि अस्पष्टीकृत निवेशों पर आय को एक काल्पनिक फर्म के हाथों में नहीं माना जा सकता और निर्धारिती के पास राशि आय के रूप में थी जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69 ए के अंतर्गत कर के अधीन थी। अतः न्यायाधिकरण ने कथित फर्म के खातों के साथ जमा राशि को जोड़ने का निर्देश देने में गलती की। वास्तव में, न्यायाधिकरण द्वारा ए.ओ. को इस तरह के लिंकअप के आदेश अनुपालन में सक्षम नहीं थे। जमा के स्रोत को साबित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन व्यक्तियों पर थी जिनके नाम पर विभिन्न जमा राशि प्रकट हुई थी। इस प्रकार, विभाग अन्य दीवानी अपीलों में प्रत्यर्थी-निर्धारिती और अन्य प्रत्यर्थी-निर्धारिती के नाम पर व्यक्तिगत मूल्यांकन करने में सही

था। न्यायाधीकरण को ए.ओ. और सी.आई.टी. द्वारा सही ढंग से दर्ज किए गए तथ्य के इन निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

( पैरा 5,6 और 71 (499-जी, एच; ई; 500-ए; सी; डी, ई)

चुहरमल बनाम सी.आई.टी. (1988) 3 एस एस सी 588 संदर्भित।

सिविल अपीलिय न्यायानिर्णय: सिविल अपील सं 3230/2007

मद्रास उच्च न्यायालय के 24.01.2006 के निर्णय और आदेश से कर मामले की 2004 की अपील सं. 680/2004

के साथ

सी.ए. नोस 3231-3235/2007

अरिजीत प्रसाद, चिन्मय शर्मा और बी.वी. बलराम दास अपीलार्थी के लिए

कपाड़िया, जे, द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया

1. अनुमति दे दी गई।

2. इस सिविल अपील के समूह के निर्धारण में उत्पन्न होने वाला एक संक्षिप्त प्रश्न है कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायाधिकरण यह निर्धारण करने में सही था कि अस्पष्टीकृत निवेशों पर आय को फर्म मैसर्स वी.वी. एंटरप्राइजेज के हाथों में माना जाना चाहिए।

3. सुविधा के लिए हम नीचे नागरिक अपील की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11596/2006 के तथ्यों का उल्लेख करते हैं।

4. के.चिन्नाथम्बन, प्रतिवादी-निर्धारिती, फर्म जिसका नाम वी.वी.

एन्टरप्राइजेज है, जिसकी परिसर नं2 व 3ए, ईस्ट पेरुमानूर रोड, सलेम पर स्थित है से जुड़े थे। पुलिस अधिकारियों द्वारा 19.08.1991 को परिसर में तलाशी ली गई तब 1.18 करोड़ रूपए (लगभग) जब्त किये गए। इसके बाद धारा 133ए के तहत एक सर्वेक्षण किया गया और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत जांच की गई। फर्म का प्रबंधन के. पलानीसामी द्वारा किया जाता था, जिन्होंने अपना रिटर्न दाखिल किया था और जो समन पर पेश हुए और बयान दिए। मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान यह पता चला कि लेखा पुस्तकें अधूरी थीं। के. पलानीसामी 1.18 करोड़ रूपए की जमा राशि के स्रोत की व्याख्या करने की स्थिति में नहीं थे। अतः निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) ने उक्त राशि को उन व्यक्तियों की अघोषित आय के रूप में माना जिनके नाम पर जमा राशि दिखाई दी थी। के.के. चिन्नाथम्बन के सम्बंध में किया गया मूल्यांकन 5.16 लाख रूपए था जिसमें 16,148 रूपए वेतन के रूप में व 5 लाख रूपए धारा 69 के तहत अघोषित आय के रूप में थे। मूल्यांकन के इस आदेश को सी.आई.टी.(ए) द्वारा बरकरार रखा गया था। निर्धारिती, के.

चिन्नाथम्बन ने न्यायाधिकरण के साथ अपील में मामले को ले गए। विवादित निर्णय द्वारा न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया गया था इसलिए राशि को विभिन्न निर्धारिती के अघोषित स्रोतों से आय के रूप में मानना उचित नहीं था और इसलिए न्यायाधिकरण के अनुसार इन सभी राशियों को फर्म के बहियों के साथ जोड़ना आवश्यक था। यह न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तर्क का यह हिस्सा है जो इन दीवानी अपीलों का विषय है।

5. शुरुआत में, हम कह सकते हैं कि कोई भी निर्धारिती के लिए उपस्थित नहीं हुआ हालांकि तामील हुई। मैसर्स वी.वी. एंटरप्राइजेज जाहिर तौर पर पुरस्कारटिकटों का व्यवसाय करने और जनता से जमा राशि एकत्र करने के लिए बनाई गई एक फर्म थी। उक्त गतिविधि के पीछे के. पलानीसामी थे। उनका बयान विभिन्न तिथियों पर दर्ज किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया है कि साथी काल्पनिक थे। वे फर्म के लाभ में किसी भी शेयर के लिए पात्र नहीं थे। के. पलानीसामी ने इसके आगे कहा कि इन तथाकथित भागीदारों के नाम पर एफ.डी.आर. में विभिन्न बैंको में धन पड़ा हुआ था। उन्होंने आगे दावा किया कि इस राशि का एक हिस्सा जनता के सदस्यों का था। बयान के इस हिस्से को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। पूर्वकथित स्थिति के अनुरूप पलानीसामी के हाथों में सुरक्षात्मक आधार पर और अस्पष्टीकृत जमा के लिए जमा धारकों के हाथों में

मूल्यांकन तैयार करनेके लिए ए.ओ. आगे बढ़े। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हालांकि मैसर्स वी.वी. एंटरप्राइजेज को एक पंजीकृत फर्म कहा गया था, लेकिन इस तरह के व्यवसाय के नाम पर कोई बैंक खाते नहीं थे। कथित फर्म के किसी भी भागीदार के नाम कोई खाते नहीं थे। कथित फर्म के नाम पर कोई जमा राशि नहीं थी। कथित फर्म के किसी भी भागीदार के नाम पर कोई जमा राशि नहीं थी। कोई भी निर्धारिती रिश्तेदारों के नाम पर जमा हुई राशि के स्रोतों का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने के. पलानसामी की ओर उंगली उठाई। इन परिस्थितियों में विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि कथित फर्म मैसर्स वी.वी. एंटरप्राइजेज वास्तविक नहीं थी। निर्धारिती जमा राशि को स्रोत स्थापित नहीं कर सका। इन परिस्थितियों में विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि निर्धारिती के दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं था कि पूर्वकथित राशि जनता के सदस्यों से एकत्र की गई थी। निर्धारिती यह दिखाने में विफल रहा कि संग्रह उसकी आय को प्रदर्शित नहीं करता है। यह पता लगाने के लिए कि निर्धारिती उक्त अधिनियम की धारा 69 ए के संदर्भ में किसी भी धन का मालिक है, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 110 में सामान्य कानून न्यायशास्त्र के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। चुहरमल बनाम सी.आई.टी. के मामले (1988) 3 एस.एस.सी. 588 में यह अभिनिर्धारित किया है कि आयकर अधिनियम की धारा 69 ए में 'आय' शब्द का व्यापक अर्थ है जिसका अर्थ

वह कुछ भी हो सकता है जो लाभ के रूप में आता है। वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने यह दिखाने का कोई सबूत पेश नहीं किया कि पूर्वकथित राशि उसकी नहीं थी। इसलिए इस मामले के तथ्यों में विभाग यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि निर्धारिती के पास अपनी आय के रूप में पूर्वकथित राशि थी जो धारा 69ए के तहत कर के अधीन थी। हमारे विचार में न्यायाधिकरण को ए.ओ. और सी.आई.टी.(ए) द्वारा सही ढंग से दर्ज किए गए तथ्य के इन निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

6. वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि भागीदार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी थे, कि उन्होंने भागीदारों के रूप में कार्य किया, कि फर्म बनाई गई थी और हालांकि फर्म को अवैध रूप से गठित किया गया था लेकिन फर्म के अस्तित्व पर कभी संदेह नहीं था। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि जनता के सदस्यों ने रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से उक्त फर्म में अपनी जमा राशि जमा कर दी है। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि हालांकि पूर्वकथित राशि फर्म के नाम पर जमा की जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया था और इसलिए उक्त राशियों को फर्म के बहियों के साथ जोड़ना आवश्यक था और यथासंभव उक्त फर्म द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से जमा के रूप में प्राप्त राशि के रूप में दिखाया जाना चाहिए। हम पूर्वकथित निष्कर्षों को दर्ज करने का कोई आधार नहीं देखते हैं। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं

है कि जनता के सदस्य अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के माध्यम से उक्त फर्म में अपनी जमा राशि जमा कर रहे हैं इसलिए न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार इन सभी राशियों को फर्म के बही के साथ जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। उपरोक्त तथ्यों में, विभाग का यह मानना सही था कि अस्पष्टीकृत निवेशों पर आय को काल्पनिक फर्म के हाथों में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, न्यायाधिकरण ने कथित फर्म के खातों के साथ जमा को जोड़ने का निर्देश देने में गलती की थी।

7. जहां जमा किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पर है और जहां वह व्यक्ति निर्धारिती से संबंधित है तो ऐसे मामले में उचित तरीका यह होगा कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसकी पुस्तकों में जमा राशि दिखाई देती है या जिस व्यक्ति के नाम पर जमा राशि है, उसे इसकी व्याख्या करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, फर्म के पंजीकरण को दर्ज करने का कोई सबूत नहीं है। वर्तमान मामले में, लेखा पुस्तकों का ठीक से रख-रखाव नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में, निवेश के स्रोत के मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वर्तमान मामले में, के. पलानीसामी के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि फर्म के भागीदार भी काल्पनिक थे। उपरोक्त परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण ने मैसर्स वी.वी. एंटरप्राइजेज के खातों के साथ जमा राशि को जोड़ने का निर्देश देने में गलती की थी। वास्तव में, न्यायाधिकरण द्वारा ए.ओ. को इस तरह से

जोड़ने के लिए दिए गए निर्देश अनुपालन में भी सक्षम नहीं थे। जमा के स्रोत को साबित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन व्यक्तियों पर थी जिनके नाम पर जमा विभिन्न बैंकों में दिखाई देता था। इन परिस्थितियों में, विभाग प्रत्यर्थी-निर्धारिती, के. चिन्नाथम्बन के हाथों व्यक्तिगत मूल्यांकन करने में सही था। इसी तरह, विभाग अन्य प्रत्यर्थी-निर्धारिती के नाम पर व्यक्तिगत मूल्यांकन करने में सही था, जो इसमें जुड़ी दीवानी अपीलों के पक्षकार हैं।

8. तदनुसार, विभाग द्वारा दायर उपरोक्त दीवानी अपीलों को खर्च के संबंध में बिना किसी आदेश के अनुमति दी गई।

एन.जे.

अपीलों की अनुमति दी गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शहनाज़ परवीन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।